इकाई 24 बहुसांस्कृतिकवाद

इकाई की रूपरेखा

24.1 बहुसांस्कृतिकवाद की अवधारणा

24.1.1 ग़ैर-विभेदीकरण का आदर्श

24.1.2 सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण

24.1.3 बहुसांस्कृतिकवाद, बहुलवाद तथा विविधता

24.2 बहुसांस्कृतिकवाद तथा उदारवाद

24.2.1 उदारवादी लोकतन्त्र की बहुसांस्कृतिकवादी आलोचना

24.2.2 अल्पसंख्यक अधिकारों के उदारवादी सिद्धान्त के रूप में बहुसांस्कृतिकवाद

24.3 विभेदकारी नागरिकता का सिद्धान्त

24.3.1 विशे-ा अधिकारों के विभिन्न प्रकार

24.3.2 अल्पसंख्यकों के बीच विभेदीकरण

24.4 बहुसांस्कृतिकवाद की आलोचनाएँ

24.5 बहुसांस्कृतिकवाद - एक मूल्यांकन

24.6 सारांश

24.7 अभ्यास प्रश्न

24.1 बहुसांस्कृतिकवाद की अवधारणा

विश्व के अधिकांश देश आंतरिक तौर पर बहुल हैं। उनके यहाँ उनकी सीमाओं में रहे लोगों के भिन्न-भिन्न धर्म, जातियाँ और संस्कृतियाँ हैं। लोकतन्त्र के दायरे में इतने विभिन्न समुदायों के लोगों से कैसे समान रूप से व्यवहार किया जा सकता है? यही प्रश्न है जोकि बहुसांस्कृतिकवाद करता है और उसका उत्तर देने का प्रयत्न करता है। बहुसांस्कृतिकवाद इस तथ्य से शुरु करता है कि प्रजातंत्र के भीतर समान नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों को प्रदान करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन उन्होंने समाज में भेदभाव के मुद्दे पर पर्याप्त विचार नहीं किया है। हाशिये पर स्थित अल्पसंख्यकों जैसे समुदायों को प्रजातांत्रिक रा-ट्र-राज्य के भीतर भी नुकसान में रहना पड़ता है। पश्चिम के भी सर्वाधिक विकसित राज्यों में संस्कृति पर आधारित भेदभाव अस्तित्व में आया है और उसका निदान सभी व्यक्तियों को नागरिकों के रूप में समान अधिकार देने मात्र से नहीं होगा। इसकी बजाय हमें विशे-ा आयोजनों के निर्धारण करने की आवश्यकता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में अल्पसंख्यक सभ्यता को जीवित तथा विकसित करने की व्यवस्था कर सके।

24.1.1 ग़ैर-विभेदीकरण का आदर्श

बहुसांस्कृतिकवाद का लक्ष्य अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों के प्रति भेदभाव को न्यूनतम तथा ग़ैर-विभेदीकरण के आदर्श को प्रोत्साहित करना है। पिछली तीन शताब्दियों या उससे अधिक से, राज्य

के अन्दर भेदभाव के स्रोतों को पहचानने और उनके निराकरण के रास्ते ढूढ़ने हेतु लोकतन्त्रीयकरण हुआ है। जैसे-जैसे देश लोकतान्त्रिक हुए, उन्होंने धर्म, लिंग, जाति तथा रंगभेद पर आधारित विभेदों को दूर किया। बहुसांस्कृतिकवाद इस लोकतन्त्रीयकरण की परियोजना में अपना योगदान विभेद के एक ऐसे कारण की ओर इंगित करने वाला है, जिसकी ओर कम ध्यान गया है और वह है - सांस्कृतिक पहचान। प्रजातंत्र के सिद्धान्त में बहुसांस्कृतिकवाद का एक विशि-ट योगदान इसकी यह मान्यता है कि सांस्कृतिक पहचानें भी तटीकरण (marginalisation) की एक स्रोत हो सकती है, और उदारवादी राज्य के कार्य अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान पहुँचा सकते हैं। राजनीतिक सिद्धान्त के किसी अन्य उलझन से अधिक, यह बहुसांस्कृतिकवाद है जिसने हमारा ध्यान राज्य के भीतर दुर्बल अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों द्वारा भोग रहे भेदभाव के प्रति खींचा है और यह प्रदर्शित किया है कि ग़ैर-भेदभाव के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उदारवादी सिद्धान्त की प्रभुत्ताशाली परम्पराओं में बुनियादी पुनर्विचार की आवश्यकता है।

24.1.2 सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण

उदारवादी लोकतान्त्रिक राज्यों में संस्कृति सम्बन्धित भेदभावों की वर्तमान शैलियों का प्रतिरोध करने के लिए बहुसांस्कृतिकवाद ऐसी नीतियों की सिफारिश करता है, जिससे सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है। बहुसांस्कृतिकवाद के भीतर सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण और प्रोत्साहन एक मुख्य मूल्य है और इसका बलपूर्वक पक्ष लिया जाता है ताकि (i) अल्पसंख्यक भेदभाव न्यूनतम हो और (ii) ऐसी दशाओं का निर्माण हो, जिससे अल्पसंख्यक संस्कृति बची रहे तथा उन्नति करे। बहुसांस्कृतिकवाद के सिद्धान्तकार यह तर्क देते हैं कि उदारवादी रा-ट्र-राज्य की नीतियाँ अल्पसंख्यक समुदायों को हानि पहुँचाती हैं। वे अल्पसंख्यक समुदायों पर बहुमत की संस्कृति के साथ आत्मसात होने के लिए बाहरी दवाब डालती है। रा-ट्र-राज्य सजातीयता की प्रक्रिया को जन्म देता है और विविधता को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों को सजातीयता की प्रक्रिया पर रोक लगाने की पद्धतियों के रूप में, उन्हें देखा जाता है। अल्पसंख्यक भेदभाव के स्रोत का उन्मूलन सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि हमारे समाज की समृद्ध बहुलता भी बची रहे। चार्ल्स टेलर के अनुसार, यदि हम अपनी विरासत पर कोई योगदान नहीं कर सकते तो कम से कम यह तो सुनिश्चित करे कि विविधता बची रहती है और समाप्त न हो। (टेलर 1994: 73)

बहुसांस्कृतिकवाद के भीतर विविधता के भवि-य की यह चिंता इस विश्वास के साथ जुड़ी है कि अनेक संस्कृतियों की उपस्थिति हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है और स्वयं को समझने के लिए ज़रूरी क्षमता प्रदान करती है। उसकी यह दलील है कि कोई भी संस्कृति 'मानवीय क्षमताओं के सम्पूर्ण घेरे को अभिव्यक्त नहीं कर सकती' (पारिख 1998: 207) और प्रत्येक उनके केवल एक रूप को स्प-ट रूप में व्यक्त कर सकती है। इसीलिए अनेक संस्कृतियों की उपस्थिति समाज की समग्र समृद्धि में योगदान करती है। भिन्न संस्कृतियाँ हमें भिन्न-भिन्न पद्धतियों से जीने व सोचने का अनुभव प्रदान करती हैं, और इसमें यह जागरूकता मिलती है कि हमारा सांस्कृतिक क्षितिज़ अनेक पद्धतियों में से एक पद्धति है, जिसने कि अगणनीय पुरु-ों व महिलाओं के जीवन को अर्थ प्रदान किया है। अपने अस्तित्व की सीमाबद्धता की यह चेतना हमें संगठन के विश्वासों तथा संस्थागत संरचनाओं की ओर नाजुक नज़रों से देखने को प्रोत्साहित करती है जिन्हें हमने विरासत में प्राप्त तथा शायद स्वीकार किया है। (पारिख 1998 : 212 और टेलर 1994 : 72) विल किमलिका यह प्रस्तावित करते हैं कि विविध संस्कृतियाँ

हमारे समक्ष ठोस विकल्प प्रस्तुत करती हैं; चूँकि विविध संस्कृतियाँ विविध परियोजनाओं और बाहरी तथा आंतरिक संगठन की विविध व्यवस्थाओं को प्रस्तुत करती हैं, वे व्यक्ति को महत्वपूर्ण विकल्पों तथा पसन्दों को प्रदान करती है जिन पर वे, यह पता करने के लिए कि क्या सही व वांछनीय है, अनुसंधान कर सकते हैं। (किमलिका 1991 : 165)

इन सब कारणों से, बहुसांस्कृतिकवाद सांस्कृतिक विविधता को अच्छा मानता है और उसे एक पो-ाणकारी मूल्य मानते हुए समाज में उसका संरक्षण तथा प्रोत्साहन चाहता है। यहाँ पर रेखांकित करने की बात यह है कि बहुसांस्कृतिकवाद जिस विविधता का प्रोत्साहन चाहता है, वह संस्कृति है। उदारवाद जबकि विचार, विश्वास व परिप्रेक्ष्य की विविधता पर ज़ोर देता है, बहुसांस्कृतिकवाद की चिन्ता विविध संस्कृतियों तथा उनके साथ समुदायों की उपयुक्तता तथा रूतबे से सम्बन्धित है। फिर बहुसांस्कृतिकवाद की सबसे बड़ी चिन्ता आत्मीकरण (assimilation) अथवा विघटित हो जाने के बाहरी दवाब से जूझ रही अल्पसंख्यक संस्कृतियों के भवि-य से है और इस चिन्ता पर विचार करते हुए उसका लक्ष्य संस्कृतियों की विविधता को सुरक्षित करना है। चूँकि यहाँ चिन्ता सांस्कृतिक विविधता की है, इसीलिए बहुसांस्कृतिकवाद में व्यक्ति की अपेक्षा समुदाय पर अधिक ज़ोर दिया गया है।

24.1.3 बहुसांस्कृतिकवाद, बहुलवाद तथा विविधता

सांस्कृतिक विविधता पर तर्क देते समय, बहुसांस्कृतिकवाद यह मान कर चलता है कि सांस्कृतिक समुदाय कोई स्वैच्छिक संस्थाएँ नहीं हैं। संस्थाओं के निर्माण में लोग किसी विशि-ट लक्ष्य या हित की तलाश में स्वेच्छा से इकट्ठे होते हैं। उनकी तुलना में सांस्कृतिक समुदाय ऐसे समूह हैं, जिसमें लोग अपने आपको **पाते** हैं। इसका अर्थ है कि अधिकांशतः लोग जानबूझ कर अपने सांस्कृतिक समुदाय को चुनते नहीं हैंः कम से कम वे सांस्कृतिक सदस्यता उस तरह से नहीं चुनते जैसे कि हम बाज़ार में सामान खरीदते हैं। और फिर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक सांस्कृतिक समुदाय की पहचान एक सांझी भा-ा, सांझे इतिहास और सांझे आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं से होती है। उनकी विशे-ाता समान परम्पराओं, संस्थाओं से होती है। उनकी विशे-ाता समान परम्पराओं, संस्थाओं व व्यवहारों का होना है। (किमलिका 1995ः 76-78)

चूँकि प्रत्येक संस्कृति की अपनी पृथक पहचान और पृथक व्यवहार होते हैं, इसीलिए संस्कृतियों को ऐसी अतुलनीय इकाइयों के रूप में देखा गया है, जिनको दूसरी संस्कृति के मूल्यों के आधार पर समझा नहीं जा सकता। उन्हें केवल उन्हीं की शर्तों पर देखा और समझा जा सकता है। इसका अर्थ है कि एक संस्कृति प्रौद्योगिक विकास को अच्छा मानती है, जबकि दूसरी संस्कृति प्रकृति से सामंजस्य की तलाश में हो। सिर्फ इस कारण से दूसरी संस्कृति वैज्ञानिक विकास को अच्छा नहीं मानती या उसका अनुशीलन नहीं करती, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दूसरों से पीछे है। दूसरे शब्दों में ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि सभी संस्कृतियों में समान मूल्यों को पूजा जाता है या उन्हे उपयोगी माना जाता है। संस्कृतियों को अतुलनीय या ग़ैर-तुलनीय मानना होगा।

इस परिप्रेक्ष्य को मानने से यह स्प-ट हो जाता है कि बहुसांस्कृतिकवाद बहुलवादी मूल्यों के एक वक्तव्य से कहीं अधिक है। यह सिर्फ यह नहीं बतलाता कि समाज में अनेक प्रकार की मूल्य प्रणालियाँ होती हैं और व्यक्ति उनमें से किसी एक का पक्ष ले सकता है अथवा उसमें शामिल हो सकता है।

इसके बजाय, बहुसांस्कृतिकवाद की दलील यह है कि प्रत्येक संस्कृति में विशि-ट मूल्य होते हैं जोकि किसी अन्य संस्कृति से अलग होते हैं। फिर एक व्यक्ति का जीवन उसकी संस्कृति के मूल्यों की रूपरेखा से प्रभावित होता है। उसकी प्राथमिकताओं तथा उनके फैसलों की रचना उसकी संस्कृति की परम्पराओं तथा संस्थागत व्यवहारों से होती है। यहाँ पर बहुसांस्कृतिकवाद की कोशिश अनुभव के सांस्कृतिक संदर्भ की सुरक्षा है। उसकी नीतियाँ यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अल्पसंख्यक संस्कृतियाँ - उनकी भा-ा, परम्पराएँ, तथा संस्थाएँ - सुरक्षित रहें तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उनके साथ समानता का व्यवहार हो।

यहाँ इस तत्त्व पर ज़ोर दिया जाना आवश्यक है कि एक बहुसांस्कृतिकवाद प्रजातंत्र के लिए विभिन्न धर्मों, जातियों व भा-ाओं का होना ही काफी नहीं है। उनके लिए ज़रूरी है कि इनमें से प्रत्येक सांस्कृतिक समुदाय विकसित हो और समान व्यवहार प्राप्त करे। विविध संस्कृतियों व समुदायों के बीच समानता की यही चिन्ता बहुसांस्कृतिकवाद की विशे-ाता है, जोकि उसे बहुलवाद से अलग करती है। बहुसांस्कृतिकवाद के सिद्धान्तकार यह तर्क देते हैं कि एक बहुल समाज की आवश्यकता लोकतन्त्र के एक बहुसांस्कृतिक नीतिगत रूपरेखा की है और ऐसा होना अनिवार्य है। वास्तविकता में यह ज़रूरी नहीं है कि बहुल समाज इसी दिशा की ओर चलें। सामाजिक क्षेत्र में बहुलवाद एक ऐसे राज्य के साथ सह-अस्तित्व में हो सकता है, जो एक संस्कृति का हो और जोकि प्रभुत्वशाली समुदाय की संस्कृति की ही पुि-ट करता हो। बहुसांस्कृतिकवाद इसी वि-ाम परिस्थिति की ओर ध्यान आकर्ि-त करते हुए यह दिखलाता है कि समाज में विभेदों को सहने वाले कई उदारवादी लोकतन्त्रों में अल्पसंख्यक संस्कृतियों के विरुद्ध भेदभाव किया जाता है। लाभों तथा सांस्कृतिक भेदभाव की ऐसी ही व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बहुसांस्कृतिकवाद ऐसी नीतियों की वकालत करता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में विविधता व विजातीयता प्रोत्साहित हो।

24.2 बहुसांस्कृतिकवाद तथा उदारवाद

बहुसांस्कृतिकवाद भेदभाव के मुद्दे पर विचार करने वाला पहला सिद्धान्त नहीं है। अलग-अलग पद्धतियों से उदारवाद व मार्क्सवाद ने भी इस मुद्दे पर विचार किया है। उदारवाद ने मुख्य तौर पर समाज द्वारा आरोपित पहचानों जैसे धर्म, रंग, जाति तथा लिंग पर आधारित मतभेदों पर नज़र डाली। फिर, इन पहचानों पर आधारित बहि-करणों के उत्तर में उदारवाद ने प्रस्तावित किया कि व्यक्ति की नागरिक के रूप में कल्पना की जाए, जोकि उनकी सामाजिक पहचानों से नाता तोड़ चुके हैं और उसी क्षमता (नागरिकता) के अनुरूप सभी को समान अधिकार तथा समान व्यवहार मिले। दूसरे शब्दों में, उदारवाद ने औपचारिक समानता का तर्क रखा। एक ओर अपने सभी व्यक्तियो को कानून के समक्ष मानते हुए आरोपित पहचानों पर आधारित भेदों तथा विशे-ाधिकारों को नकारने की कोशिश की, तो दूसरी ओर एक नागरिक के रूप में व्यक्ति की पहचान को सार्वजनिक क्षेत्र में एकमात्र प्रासंगिक वर्ग बनाया। शे-ा अन्य पहचानों को या तो उन्मूलन होना था अथवा निजी क्षेत्र तक सीमित होना था। व्यक्ति को राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र में आरोपित पहचानों तथा नागरिक के व्यक्तिगत व्यवहारों के बिना प्रवेश करना था और उसकी भागीदारी केवल राज्य के नागरिक के रूप में ही हो सकती थी। इस तरह से नागरिक का वर्ग धर्म तथा रंग से शून्य था।

उदारवाद के भीतर आरोपित पहचानों को नकारने का कारण यह है कि इनका चयन व्यक्ति के हाथ में नहीं है। लोगों ने उनमें जन्म लिया है और इसीलिए इनके आधार पर बनी परिस्थितियों के लिए

भी वे उत्तरदायी नहीं हैं। अतः उदारवादियों ने यह तर्क दिया कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि इन प्राप्त पहचानों द्वारा समाज में भूमिका, स्थिति या अवसर सुनिश्चित न हो। इस तरह उदारवादी व्यक्ति की स्वायत्तता को पसंद करते हैं, और उस के कार्यों में चयन करने की स्वतन्त्रता तथा विकल्पों की उपस्थिति को सर्वाधिक प्राथमिकता मिली है। अधिकारों को उसकी स्वतन्त्रता, विशे-ाकर राज्य के विरोध तथा समुदाय के दमन के विरुद्ध, को सुरक्षित करने के लिए प्रदान किए गए हैं। समुदाय को समाज में बहुमत की तरह एक निरंकुश इकाई माना गया है, जोकि व्यक्ति की स्वायत्तता को प्रतिबंधित करती है। इसीलिए, वह अविश्वसनीय है तथा उसे इस कारण कोई मान्यता नहीं मिली। अतः उदारवाद के भीतर ये व्यक्ति है, न कि समुदाय जिसे अधिकार दिए गए हैं।

बहुसांस्कृतिकवाद व्यक्ति की इस उदारवादी दृ-टिकोण को इस दलील से नकारता है कि एक सांस्कृतिक समुदाय की सदस्यता व्यक्ति के लिए मूल्यवान है। वह (सांस्कृतिक समुदाय) कम से कम अंगों में उसकी व्यक्तिगत पहचान को परिभा-ित करता है और 'अनुभव के एक संदर्भ' का निर्माण करता है। (किमलिका 1995:189) अर्थ यह हुआ कि समुदाय की सदस्यता व्यक्तिगत अनुभव की संरचना करती है, और उसे एक रूपरेखा प्रदान करती है, जिसके भीतर वस्तुएँ मूल्य अर्जित करती हैं। एक व्यक्ति का अन्य समूहों से संबंध तथा अन्य का उनके बारे में दृ-टिकोण भी समुदाय की सदस्यता से प्रभावित होता है। चूँकि एक सांस्कृतिक समुदाय की सदस्यता 'स्वयं-पहचान का लंगर' होती है (माराग्लिट तथा रैज़ 1990:47), इसीलिए व्यक्तियों से न तो और न ही उनसे आशा की जाती है कि वे बंधनमुक्त व्यक्तियो की तरह जोकि सामाजिक पहचान तथा अव्यवस्थित होने की भावना से मुक्त हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में सामुदायिक पहचानों का आना अनिवार्य है और लोग राजनीतिक जीवन में उन मुद्दों को ला सकते हों, जोकि सामुदायिक सदस्यता से उठते हैं। किमलिका के अनुसार जब हम व्यक्तियों से उनकी सांस्कृतिक पहचानों को त्यागने की आशा करते हैं तब हम वास्तव में उन्हें 'कोई ऐसी चीज से वंचित करते हैं जिसपर कि उनका समुचित हक है'। (किमलिका 1995: 86) इसीलिए लोकतन्त्र की राजनीतिक संस्थाओं की प्रकल्पना करते वक्त हमें सांस्कृतिक सामुदायिक पहचानों के अस्तित्व को स्वीकारना चाहिए और इस समझ के साथ शुरुआत करनी चाहिए कि व्यक्ति मात्र एक राजनीतिक समुदाय अथवा रा-ट्र-राज्य का सदस्य नहीं है। वह एक सांस्कृतिक समुदाय का भी सदस्य है और अपनी इस सदस्यता से वह गहराई से प्यार करता है। फिर राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र से सांस्कृतिक समुदाय का बहि-कार करने या उसे मान्यता से वंचित करने या उसे मान्यता योग्य न मानने से व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचती है। (टेलर 1994 : 25-28) जब सार्वजनिक क्षेत्र में सांस्कृतिक समुदाय का आदर कम होता है, तो उससे संबंधित व्यक्ति भी कम सम्मान की भावना विकसित कर लेते हैं। वे डरपोक हो जाते हैं और समाज में सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते। (पारिख 1992) कुछ तो बाहरी दुनिया से आ रहे दवाबों की प्रतिक्रिया में अपने परिवार से भी फासले बना लेते हैं। अपने परिवार तथा अपने मित्रों से अलगाव से व्यक्ति, उनके परिवार तथा समुदाय पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे अन्तर पीढ़ी संघर्-ा बनते हैं और व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक सामाजिक वातावरण से वह (व्यक्ति) वंचित हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपने हालात को सुधारने के लिए उनके प्रयत्नों को शत्रुपूर्ण और प्रतिकूल माना जा सकता है और इसलिए हम दूसरों से आशा करते हैं कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को सार्वजनिक जीवन में उचित मान्यता दें।

बहुसांस्कृतिकवादियों के लिए एक सुरक्षित सांस्कृतिक संदर्भ, एक उचित स्वायत्ततापूर्ण अस्तित्व तथा चयन करने के लिए एक आवश्यक दशा है। जब एक संस्कृति के बारे में भ्रान्ति फैलाई जाती है या उसे धमकाया जाता है, तो उनके सदस्य सिमट जाते हैं और किसी भी प्रकार के परिवर्तन या नूतनता

का विरोध करते हैं। वे बाहर से आरोपित परिवर्तनों का तथा समुदाय के भीतर से आने वाले सुझावों का प्रतिरोध करते हैं। अन्ततः इससे सदस्य हार जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में सामान्यतः विभेदों को अभिव्यक्त करने वाले क्षेत्र बंद हो जाते हो। इसीलिए उदारवादियों के भी मनपसन्द व्यक्ति की स्वायत्तता के आदर्श को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुरक्षित संस्कृति जिसे समाज में उचित मान्यता मिले, की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है।

24.2.1 उदारवादी लोकतन्त्र की बहुसांस्कृतिकवादी vkykpuk

बहुसांस्कृतिकवाद, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, इस तथ्य से शुरु होता है कि उदारवादी लोकतन्त्र अपने सभी सदस्यों के लिए समान नागरिकता सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। वैसे तो समान नागरिक व राजनीतिक अधिकार न्यूनाधिक सभी को दिए गए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदाय के सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र में नुकसान में रहते हैं। वे नुकसान में रहते हैं तथा विभेद के शिकार होते हैं, क्योकि राज्य अपने कानूनों तथा नीतियों द्वारा समाज के अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति की पुि-ट करता है। उदाहरणार्थ भा-ा, शिक्षा, छुट्टियों की घो-ाणा तथा वेशभू-ा के संबंध में नीतियाँ बहुमत की संस्कृति को प्रतिबिम्बित करती है। और अधिक मौलिक स्तर पर राज्य एवं उनके विभाग के समारोहों के रीति-रिवाज़ तथा चिह्न भी उसी सांस्कृतिक रूझान को अभिव्यक्त करते हैं। सामूहिक तौर पर राज्य की क्रियाएँ बहुमत की संस्कृति को लोकप्रिय तथा पोि-ात करती हैं और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति के साथ समंजन को प्रोत्साहन देती हैं। संक्षेप में, बहुसांस्कृतिकवादियों की यह दलील है कि वास्तव में रा-ट्रीय संस्कृति की जड़ें बहुमत की संस्कृति में होती हैं। परिणामतः जब उदारवादी लोकतान्त्रिक राज्य उस संस्कृति का संवर्द्धन करता है, तो वह बहुमत सांस्कृतिक समुदाय को विशे-ााधिकार प्रदान करने के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान पहुँचाता है।

यह विचार कि बहुमत संस्कृति को विशे-ााधिकार देने का अर्थ अल्पसंख्यक समुदाय को हानि पहुँचाना है, बहुसांस्कृतिकवादी विचार के केन्द्र में है। बहुसांस्कृतिकवादी इसके आगे व्याख्या एक उदाहरण देकर करते हैं। यदि कनाडा की अधिकारिक भा-ा अंग्रेज़ी कर दी जाए, तो फ्रांसीसी भा-ा व उस भा-ाई समूह के लोग अनिवार्य तौर पर नुकसान में हो जाएँगे। फ्रांसीसी भा-ाइयों को अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी, जोकि उनकी मातृभा-ा नहीं है और उसमें उन्हें प्रवीणता प्राप्त करना होगी, ताकि वे उन लोगों से प्रतिस्पर्द्धा कर सके जिनकी अंग्रेज़ी मातृभा-ा है। इसके लिए उन्हें अंग्रेज़ी भा-ाई लोगों से अधिक मेहनत करनी होगी और उन्हें उस संस्कृति की जानकारी भी लेनी होगी जोकि अंग्रेज़ी भा-ा से जुड़ी हुई है। अभिभावक जोकि यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके बच्चे को समाज में आदरपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिले, उन्हें (बच्चों को) अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में भेजने का प्रयत्न करेंगे। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग ऐसा करते हैं, अंग्रेज़ी भा-ा व संस्कृति लोकप्रिय होती जाती है। अधिकाधिक लोग उस भा-ा को पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ फ्रांसीसी भा-ा पढ़ने व लिखने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आती है। अन्ततः फ्रांसीसी भा-ा समुदाय के साथ जुड़े सम्मान व समर्थन में कमी आती है। वह तेज़ी से बेकार हो जाती है। यहाँ तक कि उनके समुदाय के बच्चे भी उनके साथ नहीं जुड़ते। चूँकि वे स्कूल तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में एक दूसरी संस्कृति के सम्पर्क में आते हैं, वे उससे (फ्रांसीसी भा-ा व संस्कृति) अलगाव से पीड़ित हो जाते हैं। इस तरह से अनेक प्रक्रियाओं द्वारा फ्रांसीसी संस्कृति व सांस्कृतिक समुदाय को व्यवस्थित रूप से हानि पहुँचती है।

बहुसांस्कृतिकवाद के सिद्धान्तकार इस प्रकार के उदाहरण यह दिखलाने के लिए देते हैं कि राज्य के कानून तथा नीतियाँ जोकि नि-पक्ष नज़र आती हैं, उनमें निहित रूप से बहुमत समुदाय के साथ पक्षपात होता है, और अल्पसंख्यक समुदाय नुकसान में हैं। रविवार को एक सार्वजनिक छुट्टी की घो-णा से धार्मिक इसाई चर्च में प्रार्थना के लिए जा सकते हैं और अपने धर्म के आदेश के अनुसार रविवार को विश्राम के दिन के रूप में मना सकते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में एक मुसलमान जोकि अपने धर्म के अनुसार शुक्रवार को दोपहर में पूजा करना चाहता है, नुकसान में है। चूँकि शुक्रवार कार्य का दिन है, उसे एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में कोई समय छुट्टी का नहीं मिलता। इस तरह से उदारवादी राज्य का व्यवहार अल्पसंख्यक संस्कृति के सदस्यों का तटीकरण और उनके विरुद्ध मतभेद करता जाता हैं। वास्तव में ऐसे राज्य उन पर बाहरी दवाब डालकर प्रभुत्वशाली संस्कृति से उनको आत्मसात् करना चाहते हैं। चूँकि अल्पसंख्यक समुदाय के पास विकल्प आत्मसात् होने अथवा विघटित होने का है, बहुसांस्कृतिकवादी उदारवादी लोकतन्त्र के आलोचक हैं। वे उदारवादी लोकतन्त्र के केन्द्रीय सिद्धान्त, विशे-ा तौर पर औपचारिक समानता तथा नि-पक्षता पर प्रश्न करते हैं और उनकी जगह समूह विभेदीकृत अधिकारों और विभेदीकृत नागरिकता के विचार पर आधारित एक वैकल्पिक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इस रूपरेखा में अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों को विशे-ा अधिकार प्रदान किए गए हैं, ताकि वे सुरक्षित रह सकें व उदारवादी राज्य में उन्हें समान व्यवहार मिलें।

24.2.2 अल्पसंख्यक अधिकारों के उदारवादी सिद्धान्त के रूप में बहुसांस्कृतिकवाद

बहुसांस्कृतिकवाद एक स्वायत्त, स्वतन्त्र रूप से चयनशील तथा अणुओं में विभक्त व्यक्ति के उदारवादी विचार के साथ-साथ इस विश्वास को कि राज्य अच्छे जीवन की विभिन्न तथा प्रतिस्पर्द्धामय अवधारणाओं के मध्य नि-पक्ष है या उसे ऐसा होना होगा, नकारता है। इसकी बजाय बहुसांस्कृतिकवाद व्यक्ति का एक सांस्कृतिक समुदाय के भीतर स्थान निर्धारण करने के साथ शुरु करता है और यह दलील देता है कि कोई भी राज्य पूर्ण नि-पक्ष न तो है और न ही हो सकता है। सभी उदारवादी राज्य शादी, तलाक, सम्पत्ति, उत्तराधिकार, सहज मृत्यु, आत्म हत्या और अन्य सामाजिक क्रियाओं के संबंध में कानून बनाते हैं और स्वयं नि-पक्ष होने के दावे के बावजूद वह प्रत्येक मामले में एक दृ-टिकोण की पुि-ट व वैधीकरण करता है। उदाहरण के लिए, वह सम्पत्ति पर व्यक्ति के दावे को अथवा एकपत्नीत्व विवाहों को ही केवल मान्यता देगा। इस प्रकार के कानून सामूहिक तौर पर सामूहिक सम्पत्ति अथवा बहुपत्नीत्व के व्यवहार के दावों को प्रायः नकारते हैं। वास्तव में इस प्रकार के सभी दावों तथा व्यवहारों को ग़ैर-कानूनी घोि-त कर दिया जाता है। अन्य मामलों की तरह यहाँ भी राज्य के कानून अच्छाई की एक अवधारणा को प्रतिबिम्बित करते हैं, जिसको कि वे स्वीकार करते हैं। यह समझ कुछ संस्कृतियों की अच्छाई की अवधारणा के अनुरूप हो सकती है, लेकिन अन्य सांस्कृतिक समुदायों के व्यवहारों के प्रतिकूल हो सकती है। इसके लिए यह समझना आवश्यक है कि कोई भी राज्य पूर्ण तौर पर नि-पक्ष नहीं होता। इसीलिए, नि-पक्षता के उदारवादी सिद्धान्त की जगह "संतुलित न्यायवाद" के विचार को स्वीकारना होगा। (केरन्स 1999: 46-50) नि-पक्षता की एक वांछनीय लक्ष्य के रूप में तलाश की बजाय राज्य को विविध संस्कृतियों के प्रति संतुलित न्यायवाद के अनुरूप कार्य करना होगा।

संतुलित न्यायवाद के विचार को प्रस्तुत करते हुए बहुसांस्कृतिकवाद व्यक्ति, राज्य, समुदाय तथा न्याय के उदारवादी सिद्धान्त को चुनौती देता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि बहुसांस्कृतिकवाद उदारवाद-विरोधी है। बहुसांस्कृतिकवाद के अधिकांश सिद्धान्तकार इन विकल्पों को सबके लिए

समानता के उदारवादी आदर्शों को उदारवादी लोकतन्त्रों के अनुरूप बनाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। उनकी यह दलील है कि नि-पक्षता व औपचारिक समानता अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों तथा उनके सदस्यों के बीच समानता को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। इसीलिए, राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों को भेदभाव से सुरक्षित रखने के लिए वे विशे-ा अधिकारों की एक प्रणाली की वकालत करते हैं। विल किमलिका इस संबंध में एक दूसरी दलील रखते हैं। उनका कहना है कि उदारवाद व्यक्ति की स्वायत्तता तथा उसकी चयन करने की स्वतन्त्रता को कोई महत्व नहीं देता। वह तो यह चाहता है कि व्यक्ति को समाज से जो कुछ मिला है, उनके बारे में व्यक्ति को सोचने तथा पुनर्विचार करने का अवसर मिले। स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता को मूल्यवान केवल इसलिए माना गया है क्योंकि ये व्यक्ति को विरासत में मिले विश्वासों तथा संस्थाओं पर सोचने का अवसर प्रदान करते हैं। अतः उदारवाद में पुनर्विचार की दशा को पोि-त किया जाता है। लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासतों पर पुनर्विचार तभी संभव है, जबकि रा-ट्र-राज्य के भीतर संस्कृति सुरक्षित रहे। जब एक संस्कृति खतरे में हो और बचे रहने के लिए संघ-ार्ा कर रही हो, तो विकल्प खत्म हो जाते हैं। इन दशाओं में रह रहे सामुदायिक सदस्यों के लिए विभेदों को व्यक्त करना तथा अपनी समझ के अनुसार अपने सांस्कृतिक संदर्भ को फिर से आकृति देना संभव नहीं होता।

किमलिका के अनुसार उदारवादी के रूप में हमें अपने समाज में अल्पसंख्यक संस्कृतियों के भवि-य के प्रति चिंतित होना चाहिए। और उदारवादी आदर्शों अथवा पुनर्विचार की दशा को आगे सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति आधारित अधिकारों की वर्तमान रूपरेखा को विशे-ा व्यवस्थाओं तहत पूरक बनाया जाए, जोकि समाज में अल्पसंख्यक संस्कृतियों को सुरक्षित व पोि-त करें। (किमलिका 1991 : 9-19) इस बहुसांस्कृतिक आकार का प्रस्तुतिकरण उदारवाद के आदर्शों की प्राप्ति हेतु किया गया है, लेकिन उन रीतियों के अन्तर्गत जिनका प्रतिि-ठत (classical) उदारवाद में कोई स्थान नहीं है।

24.3 विभेदकारी नागरिकता का सिद्धान्त

उदारवाद ने सामाजिक विभेदीकरण के मुद्दे को आरोपित पहचानों को नकारते हुए, सभी व्यक्तियों को नागरिक के रूप में समान अधिकार देकर सुलझाने की कोशिश की। इसके बिल्कुल विपरीत बहुसांस्कृतिकवाद की दलील यह है कि सभी के लिए समान अधिकार संस्कृति पर आधारित मतभेद को न्यूनतम करने के लिए अपर्याप्त हैं। आवश्यकता पहचाने अल्पसंख्यकों को विशे-ा अधिकार देने की है। यह विचार है कि नागरिकों में उनकी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर मतभेद किया जा सकता है और यह कि राज्य में नागरिकों के तौर पर विभिन्न समुदायों को विभिन्न अधिकार मिलें, बहुसांस्कृतिकरण की एक प्रमुख विशे-ाता है और इसे विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा के माध्यम से व्यक्त किया गया है।

विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा सार्वभौमिक नागरिकता के उदारवादी आदर्श को नकारती है। बहुसांस्कृतिकवाद का कहना है कि सार्वभौमिक नागरिकता यह मानती है कि सभी नागरिक एक जैसे होते हैं। सजातीयता की यह मान्यता समूह विभेदों को छिपा देती है। यह नागरिकों से अपनी विशि-ट पहचान को भूलकर अपने को राज्य के नागरिक समझने की आह्वान करती है। इसका अर्थ यह है कि एक समाज में जहाँ कुछ समूह के पास विशे-ाधिकार और शे-ा हाशिये पर होते हैं, सीमान्तों को

अपनी पहचान को भूलकर प्रभुत्वशाली वर्ग अर्थात् बहुमत समुदाय के दृ-टिकोण व परिप्रेक्ष्य को अपनाना चाहिए। इसी तरह से सार्वभौमिक नागरिकता का विचार 'विशे-ाधिकार प्राप्त वर्ग को अपने समूह की विशि-टता को नकारने की अनुमति देता है।' (यंग 1990: 165) विशे-ाधिकार प्राप्त बहुमत के विचारों व दृ-टिकोण को नि-पक्ष व सार्वभौमिक को दृ-टिगत करते हुए यह आदर्श 'सांस्कृतिक साम्राज्यवाद' को शाश्वत करता है। (वहीं)

समूह विभेदीकरण पर आधारित नागरिकता व अधिकारों की वकालत इस आत्मीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए की गई है और ऐसा अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदायों को अधिकारों को देकर किया गया है, जिनसे कि समाज तथा राज्य से आ रही सजातीयता के दवाब से अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सके। यह इस विश्वास पर आधारित है कि समाज अनेक विविध सांस्कृतिक समुदायों से मिलकर बनता है और राज्य प्रायः एक ही संस्कृति जोकि बहुमत की संस्कृति होती है, को विशे-ाधिकार देता है और उसकी पुि-ट करता है। चूँकि इससे अन्य सांस्कृतिक समुदाय (रा-ट्र-राज्य) हाशिये पर आ जाते हैं और उन्हें हानि होती है, इसीलिए उन्हें विशे-ा अधिकार प्रदान किए जाएँ। अतः नागरिकों में उनकी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर विभेद किया जाए और सभी को समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए यह न्यायोचित है।

24.3.1 विशे-ा अधिकारों के विभिन्न प्रकार

विभेदीकृत नागरिकता की रूपरेखा के भीतर, बहुसांस्कृतिकवाद अल्पसंख्यक समुदायों के लिए तीन प्रकार के विशे-ा अधिकारों की व्यवस्था करता हैः (i) सांस्कृतिक अधिकार; (ii) स्वशासन के अधिकार और (iii) विशे-ा प्रतिनिधित्व के अधिकार। इस तथ्य से शुरु करते हुए कि राज्य बहुमत समुदाय की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, बहुसांस्कृतिकवादी दलील देते हैं कि अल्पमत समुदायों को विशे-ा अधिकारों की आवश्यकता है, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी अपनी संस्कृति की पहुँच हो सके। पश्चिमी लोकतन्त्रों में वर्तमान कानूनों से अपवाद, अल्पसंख्यक सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए सहायता तथा अल्पसंख्यक सांस्कृतिक व्यवहारों की मान्यता के रूप में विशे-ा सांस्कृतिक अधिकारों की माँग की गई है। यहाँ हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। कनाडा में सिक्खों ने उस कानून से अपवाद की माँग कि जिसे स्वीकार कर लिया गया, जिसके अनुसार मोटर साईकिल चलाने पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अस्पतालों में एशियाई समुदायों की महिलाओं को नर्स के रूप में कार्य करते वक्त एक विशे-ा प्रकार के वस्त्र पहनने से विमुक्त किया गया। दोनों ही मामलों में अल्पमतों की दलील यह थी कि निर्धारित नियमों में अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति की ओर ध्यान नहीं दिया गया था और अपवाद इसलिए किए गए थे, ताकि इन अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य अपने मान्य सांस्कृतिक व्यवहारों के अनुरूप जी सकें।

विमुक्ति प्राप्त करने के अलावा अल्पसंख्यक समुदायों ने वित्तीय तथा अन्य संरचनात्मक मदद के रूप में सहायता की माँग की है, ताकि उनकी संस्कृति का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व हो। यह सहायता प्रायः संग्रहालय स्थापित करने, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को चलाने तथा सार्वजनिक समारोहों को मनाने के लिए ली जाती है। कई बार, अल्पसंख्यक समुदायों ने अपने अलग सांस्कृतिक व्यवहारों की मान्यता की माँग की है। उदाहरण के लिए भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की माँग अपने पारिवारिक कानूनों को मान्य करने की थी, जोकि उन्हें प्रदान किया गया। अतः यहाँ पर व्यक्ति अपने समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर शासित होते हैं। मान्यता के दावों की खास बात यह है

कि उनके माध्यम से समुदाय अपने परम्परागत सांस्कृतिक व्यवहारों तथा संस्थागत संरचनाओं की पुि-ट की माँग करते हैं। अधिकांश बार तो इन दावों की स्वीकृति, क्षेत्राधिकार तथा शासन की बहुसंरचनाओं को जन्म देती है। कभी-कभी सदस्यों के ऊपर परम्परागत नियम एकमात्र क्षेत्राधिकार प्राप्त कर लेते हैं और अन्य अवसरों में, राज्य के निर्मित कानूनों के साथ-साथ परम्परागत नियम बने रहते हैं। व्यवस्था का कोई भी विशे-ा स्वरूप क्यों न हो, ये सांस्कृतिक अधिकार समुदाय तथा उनके व्यवहारों को एक कानूनी रूतबा प्रदान करते हैं और इससे वे सार्वजनिक क्षेत्र के कानूनी अभिकर्त्ता बन जाते हैं।

बहुसांस्कृतिकवाद के अन्तर्गत विशे-ा अधिकारों का दूसरा रूप स्वशासन का है। मान्यता के अधिकारों की तरह ये भी क्षेत्राधिकार की दोहरी संरचनाओं का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ सिर्फ एक विशे-ा अन्तर है कि स्वशासन के अधिकार भूमि के दावों से संबंधित हैं। समुदाय जोकि एक स्प-ट प्रदेश में जमा है और वे वहाँ पर पीढ़ियों से रह रहे हैं, को ऐसा अधिकार मिल सकता है। स्वशासन अधिकार, इस रूप में, केवल विशे-ा प्रकार के समुदाय को ही मिल सकते हैंः ऐसे समुदाय जोकि स्प-ट तौर पर एक रा-ट्र हैं, उस प्रदेश पर उनके दावे का आधार ऐतिहासिक है तथा उनमें अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने की भावना है। स्वशासन के अधिकारों को देने का उद्देश्य समुदायों को कुछ सीमा तक राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करना है, ताकि वे अपने ऊपर शासन इस प्रकार करें जिससे कि एक स्प-ट प्रदेश में उनकी पृथक सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित व प्रोत्साहित हो।

अल्पसंख्यक अधिकारों की तीसरी श्रेणी विशे-ा प्रतिनिधित्व अधिकारों की है। इन अधिकारों के दावों के पीछे धारणा यह है कि अल्पसंख्यक समुदायों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने, एजेण्डा तय करने व अपने विशि-ट विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए। जैसा कि इरिस मेरियन यंग तर्क देते हैं, "विभिन्न समूहों के लोग प्रायः संस्थाओं, घटनाओं, व्यवहारों व सामाजिक संबंधों के बारे में कुछ अलग अलग से जानकारी रखते हैं और प्रायः उनमें समाज संस्थाओं, संबंधों तथा घटनाओं के भिन्न परिप्रेक्ष्य होते हैं। इस कारण से कुछ समूह के सदस्य विशि-ट सामाजिक नीतियों को लागू करने के संभावित परिणामों को समझने और उनका पूर्वाभास करने में अन्यों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में होते हैं।" (यंग 1990ः 186) परिणामतः यह भागीदारी सार्वजनिक ज्ञान का पो-ाण करेगी और साथ साथ उन समूहों को रा-ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करेगी, जोकि अन्यथा हाशिये पर हैं। इसके आगे यह भी दलील दी जाती है कि विभिन्न समूहों, विशे-ाकर उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों का जानबूझकर समावेश सार्वजनिक नियमों को परिभाि-ात करने व विचारशील एकमत के निर्माण में एक शक्तिशाली उपकरण होगा।

अतः विशि-ट प्रतिनिधित्व सीमांतरीय (marginalized) समूहों को शामिल करने तथा उनके सशक्तीकरण का एक तरीका है जिससे कि उनके अन्दर नीति निर्माणों में भागीदारी तथा योगदान देने की एक भावना हो। इसके साथ साथ यह भी आशा की जाती है कि समाज के विविध समूहों के अनुभवों व परिप्रेक्ष्यों को लाने से नीति निर्माण का पो-ाण होगा। यह दोहरा लाभ है जोकि समुदायों के लिए विशि-ट प्रतिनिधित्व के दावों को न्यायोचित्त् ठहराता है। भारत में संविधान के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को विशि-ट प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और यह चे-टा अभी तक सार्वजनिक व राजनीतिक क्षेत्र से दूर लोगों को शामिल करने की नीयत से की गई है।

24.3.2 अल्पसंख्यकों के बीच विभेदीकरण

अभी तक हमने विशि-ट अधिकारों के तीन भिन्न प्रकारों का सार दिया है जिनका समर्थन बहुसांस्कृतिकवाद में रा-ट्र के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए किया गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या सभी अल्पसंख्यकों को ये सभी अधिकार मिलने चाहिए? क्या सभी अल्पसंख्यकों को समान विशे-ा अधिकार दिए जाएँ?

बहुसांस्कृतिकवाद में सामान्य तौर पर अल्पसंख्यकों के विशि-ट अधिकारों का बचाव किया गया है लेकिन यह नहीं कहा गया कि राज्य के अन्दर रह रहे सभी अल्पसंख्यकों को यह अधिकार मिले। अधिकांश सिद्धान्तकार इस बात पर सहमत हैं कि ये अधिकार केवल उनके लिए हैं, जोकि ऐतिहासिक तौर पर उत्पीड़ित हैं। फिर कौन से अधिकार किस उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय को मिले, यह भी विशे-ा मामले को देखने के बाद ही निर्धारित होगा। पृथक संदर्भ पृथक निदान की माँग करते हैं और एक स्प-ट स्थिति में कौन-सा रास्ता उचित है, यह अल्पसंख्यक के प्रकार पर, विभेदीकरण के उनके अनुभव पर तथा राज्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अतः हमारे पास अल्पसंख्यक अधिकारों का कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं है।

विल किमलिका ने अपने लेखों में रा-ट्रीय अल्पसंख्यक और आप्रवासी (immigrant) समुदाय जोकि अल्पसंख्यक भी हैं, के बीच अन्तर किया है। उनका विचार है कि स्वशासन अधिकार केवल उन्हीं समुदायों को दिए जा सकते हैं, जोकि अपने को एक विशि-ट सामाजिक संस्कृति से सम्पन्न मानते हुए स्वयं को एक रा-ट्र मानते हैं और एक स्प-ट क्षेत्र के ऊपर उनका ऐतिहासिक तौर पर दावा है। लेकिन आप्रवासी तो एक देश में इस स्प-ट समझ के साथ आएँ कि उन्हें उस देश के नियमों के अनुसार रहना होगा और इसीलिए, वे अपनी संस्कृति की सुरक्षा एवं उनके प्रोत्साहन के अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर कि क्या आप्रवासी अपनी संस्कृति तथा व्यवहारों की सार्वजनिक मान्यता की माँग कर सकते हैं या नहीं, पर बहुसांस्कृतिकवादियों में काफी मतभेद हैं। यहाँ पर इतना कहना काफी होगा कि सभी समुदायों के लिए विशे-ा अधिकार का बिना शर्त समर्थन नहीं है और न ही सभी अल्पसंख्यकों को अन्य अल्पसंख्यकों की तरह समान अधिकार देने की अपेक्षा है।

24.4 बहुसांस्कृतिकवाद की vkykpuk,

वर्तमान काल में उदार लोकतन्त्रों में संस्कृति आधारित मतभेदों के बहुसांस्कृतिकवादी परीक्षण की ओर व्यापक ध्यान आकर्-ात हुआ है। लेकिन विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा के साथ शामिल अल्पसंख्यकों के लिए विशे-ा अधिकार के बचाव का काफी प्रतिरोध हुआ है। बहुसांस्कृतिकवाद के विरोधियों ने चार प्रकार के मुद्दे उठाए हैं। पहला, बहुसांस्कृतिक रूपरेखा समुदायों तथा सत्ता की परम्परागत संरचनाओं को व्यक्ति के ऊपर सत्ता प्रदान करती है और सामुदायिक संस्कृति की सुरक्षा के नाम पर मौजूद व्यवहारों को निरन्तर बनाए रखने की अनुमति देती है। समुदायों तथा उनके व्यवहारों को दिए गए अनुमोदन का उपयोग आंतरिक मतभेदों को समाप्त करने और मौजूदा व्यवहारों तथा परम्परागत नेताओं के विचारों के अनुसार अनुरूपता को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है, और प्रायः किया जाता है। परिणामतः व्यक्ति तथा समुदाय के भीतर सीमांतरीय समूह जैसे कि महिलाएँ

नुकसान में रहते हैं। अतः बहुसांस्कृतिकवाद जहाँ समूहों के मध्य समानता के मुद्दे को संबोधित करते हैं, वे समूह के भीतर के समान रूप से समानता के महत्वपूर्ण वि-ाय की ओर ध्यान नहीं देते।

दूसरा, अल्पसंख्यकों के लिए विशे-ा अधिकारों की चर्चा करते वक्त बहुसांस्कृतिकवादी यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक समुदाय एक स्प-ट पहचानने योग्य सदस्यता के साथ एक सजातीय इकाई है। बहुसांस्कृतिकवाद का यह विचार आगे भी यह मानकर चलता है कि व्यक्तियों की एक विशे-ा पहचान होती है और उस आधार पर उन्हें एक विशि-ट सांस्कृतिक समुदाय के सदस्य के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। व्यक्ति को एक समुदाय में रखने की प्रवृत्ति, आलोचक दलील देते हैं कि उत्तर-उन्नीसवीं शताब्दी या प्रारंभिक बीसवीं शताब्दी में उचित हो सकती थी। लेकिन आज व्यक्ति अनेक विभिन्न सांस्कृतिक व सामाजिक प्रभावों से निरंतर जुड़ा हुआ है, जिससे हम परिसीमित संस्कृतियों और समुदायों पर ज़ोर नहीं दे सकते। इसके अलावा व्यक्ति प्रायः अपने आपको अनेक समुदायों के सदस्य के रूप में देखता है। उदाहरण के लिए, वह भिन्न भिन्न संदर्भों में अपने आपकी पहचान भारतीय, हिन्दू, ब्राह्मण, और महिला के रूप में कर सकता है। इन विभिन्न समुदायों की सदस्यता की उसकी चिंता भी भिन्न तथा कई बार असंगत होगी। इसीलिए, हमें व्यक्ति तथा उनकी सामुदायिक सदस्यता के बारे में अधिक जटिल चित्रांकन शुरु से करने की आवश्यकता है।

तीसरा, आलोचकों को यह भी भय है कि बहुसांस्कृतिकवाद से रा-ट्र-राज्य कमज़ोर होगा। वे कहते हैं कि राज्य द्वारा अनुमोदित संस्कृति को बहुमत समुदाय के साथ जोड़ने से बहुसांस्कृतिकवादी रा-ट्र-राज्य में लोगों की सांझी संस्कृति की समस्त संभावनाओं को नकार देते हैं। इस तरह से यह रा-ट्रीय निर्माण-योजना के लिए खतरा है और अल्पसंख्यकों को राज्य से दूर करने की माँग करता है। फिर, विशे-ा अधिकारों की व्यवस्था दोहरे क्षेत्राधिकार तथा दोहरी नि-ठा की रूपरेखा को प्रभावी बनाती है। यही अपने आपमें राज्य के विघटन के स्रोत के रूप में देखा गया है।

चौथा, मार्क्सवादी सिद्धान्तकार विशे-ा तौर पर यह दलील देते हैं कि बहुसांस्कृतिकवाद पुनर्वितरण (redistribution) के वि-ाय को नज़रअंदाज करता है। यह अल्पसंख्यक सीमांतरण को संकुचित रूप से एक सांस्कृतिक घटनाचक्र मानता है जिसे मान्यता तथा अल्पसंख्यक संस्कृतियों की सुरक्षा के रूप में सांस्कृतिक निदानों की आवश्यकता है। परिणामतः समाज में अल्पसंख्यक के साथ हो रहे भेदभावों के विभिन्न तरीकों तथा उनके प्रकटीकरण के बारे में यह ध्यान नहीं देता। वास्तव में उसका परीक्षण हमारे ध्यान को समाज में संसाधनों व अवसरों के पुनर्वितरण की तलाश के अनिवार्य कार्य से बाँट देता है।

24.5 बहुसांस्कृतिकवाद - एक मूल्यांकन

इन सब दलीलों से महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं, जिनका जवाब दिया जाना ज़रूरी है। वास्तव में बहुसांस्कृतिकवाद के सिद्धान्तकार अभी कुछ समय से इन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो बहुसांस्कृतिकवाद की प्रतिक्रियाओं का सविस्तार विवरण देना संभव नहीं है, फिर भी दो बातों पर, अब जबकि हम बहुसांस्कृतिकवाद पर चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, ध्यान देना अनिवार्य है। पहला, बहुसांस्कृतिकवाद विशे-ा अधिकारों की वकालत वर्तमान राज्यों को मज़बूत करने, न कि कमज़ोर करने के लिए करते हैं। इस तथ्य पर आधारित कि राज्य के भीतर रा-ट्र-राज्य की एकता को

खतरा जातीय संघ-र्ों से है, बहुसांस्कृतिकवाद सीमांतरीय समुदायों को राजनीतिक व सार्वजनिक क्षेत्र में एक स्थान देना चाहते हैं। स्वशासन के अधिकार सहित विशि-ा अधिकारों का उद्देश्य एक ऐसे यंत्र को उपलब्ध कराना है जिससे उत्पीड़ित समूह भागीदारी करें और उनमें राज्य के प्रति वचनबद्धता विकसित हो। बहुसांस्कृतिकवाद के सिद्धान्तकार यह मानते हैं कि नागरिकता केवल एक कानूनी रुतबा नहीं है, उसका एक मनोवैज्ञानिक आयाम भी है। जबतक कि व्यक्तियों को भावनात्मक लगाव नहीं होगा, राज्य के साथ पहचानीकरण नहीं होगा। (केरन्स 1996, 7:113) विशि-ट अधिकारों से यह अपेक्षा है कि वे अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल करने के रास्ते खोलकर तथा उनमें समानता प्रदान कर यह कार्य पूरा करें।

दूसरा, बहुसांस्कृतिकवाद के सामने आज सबसे गंभीर समस्या यह है कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता व समस्त अल्पसंख्यकों के लिए समानता को नकारे बिना कैसे सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा की जाए। बहुसांस्कृतिकवाद के प्रवक्ता इस मुद्दे को संबोधित, यह सुझाव देकर करते हैं कि समुदाय को लोकतान्त्रिक दृ-टिकोण की संस्थाओं को विकसित करना होगा, ताकि सीमांतरीय समूहों की आवाज़ समुदाय के भीतर सुनी जा सके और उन्हें आंतरिक रूप से स्थान मिले। अन्य यह मानते हैं कि राज्य उन न्यूनतम अधिकारों की रूपरेखा निर्धारित कर सकता है, जिन्हें तोड़ा न जा सके। उस रूपरेखा के अन्तर्गत समुदाय यह निश्चित कर सकेगा कि उन्हें अपने सदस्यों पर कैसे सर्वश्रे-ठ रूप से शासन करना है। वैसे तो सुझाव दिए गए सभी विकल्पों में से कोई भी स्वतन्त्रता व समानता के लिए चिंता से उठाए गए मुद्दों की जटिलता के कारण से पर्याप्त नहीं हैं, फिर भी ये प्रतिक्रियाएँ इस बात की ओर इंगित एवं उसकी पु-टि करती हैं कि बहुसांस्कृतिकवाद केवल सामुदायिक अधिकारों का सिद्धान्त मात्र नहीं है। वैसे तो बहुसांस्कृतिकवादियों की चिंता, अन्तर समूह समानता के प्रश्न से प्रायः है, लेकिन उनमें अन्तः समूह समानता का प्रश्न अनुपस्थित भी नहीं है। वास्तव में उदार लोकतन्त्रों के एजेण्डा में पहले प्रकार के मुद्दों को डालने के बाद बहुसांस्कृतिकवाद अब समुदाय के भीतर समानता के प्रश्न को भी संबोधित कर रहा है।

बहुसांस्कृतिकवादी राजनीतिक सिद्धान्त का महत्व यह है कि इसने हमारा ध्यान उदार लोकतन्त्रों के भीतर सांस्कृतिक भेदभाव की प्रक्रिया की ओर दिलाया है और हमें उन आदर्शों पर पुनर्विचार करने को मज़बूर किया है जिनका उदारवाद में पो-ाण किया गया है। विशे-ा तौर पर इसने हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि हम विचार करें कि क्या व्यक्तिगत अधिकार, अविभाजनीय राज्य संप्रभुता तथा समान नागरिकता एक बहुलवादी समाज में सभी के लिए समानता को प्रभावशाली तौर पर सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी एजेण्डा को निश्चित करने के कारण से बहुसांस्कृतिकवाद आज लोकतान्त्रिक सिद्धान्त का सर्वाधिक प्रभावशाली तीर बन गया है।

24.6 सारांश

बहुसांस्कृतिकवाद की अवधारणा तथा उनके साथ जुड़े अन्य सिद्धान्त समकालीन जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। बहुसांस्कृतिकवाद समाज में भेदभाव के प्रमुख मुद्दे को, विशे-ाकर अल्पसंख्यकों जैसी सीमांतरीय सांस्कृतिक समुदायों के संदर्भ में, संबोधित करता है। इसीलिए बहुसांस्कृतिकवाद समूह विशि-ट अधिकारों पर ज़ोर देता है। यह अल्पसंख्यक संस्कृति की सुरक्षा व पो-ाण के लिए सामाजिक/संस्थागत व्यवस्थाओं पर ज़ोर देता है।

24.7 अभ्यास प्रश्न

1. अपनी भा-ा में बहुसांस्कृतिकवाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
2. बहुसांस्कृतिकवाद तथा उदारवाद के बीच संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
3. विभेदीकृत नागरिकता के विचार पर एक निबंध लिखें।
4. बहुसांस्कृतिकवाद की समीक्षाओं की चर्चा कीजिए।
5. बहुसांस्कृतिकवाद का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे?